जिला– खगड़िया

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह– विशेष न्यायाधीश, SC/ST Act, खगड़िया

GR No. 3410 of 2019
Beldour PS Case No. 237 of 2019
CIS No. 110 of 2019)

राज्य (द्वारा मुंद्रिका देवी)....अभियोजन पक्ष/ सूचक

ब ना म

1. राजो मियाँ उर्फ राजू मियाँ उर्फ मो0 राजू,
   पिता–इनशुल मियाँ
2. मोमिना खातुन उर्फ मनिन खातून
   पति–इंशुल मियाँ
3. इंशुल लियाँ उर्फ इंशुन उद्दीन
   पिता– स्व0 अजीत मियाँ
   साकिन– कुम्हरैली, थाना बेलदौर, जिला खगड़िया।

..... अभियुक्तगण

आरोपित धाराएँ 366A/34, 342/34 IPC, U/s 3(1)(w)(i) SC/ST Act

अभियोजन की ओर से – श्री चन्द्रभूषण प्रसाद सिंह
विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

अभियुक्त की ओर से – श्री धनंजय कुमार, विद्वान अधिवक्ता।

उपस्थित : **संजय कुमार–।।**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम–सह– विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।

खगड़िया, दिनांक 04वीं जून 2026

नि र्ण य

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त राजो मियाँ उर्फ राजू मियाँ उर्फ मो0 राजू, मोमिना खातुन उर्फ मनिन खातून, इंशुल लियाँ उर्फ इंशुन उद्दीन के विरूद्ध धारा 366A/34, 342/34 IPC, के अन्तर्गत आरोप का गठन तथा राजो मियाँ उर्फ राजू मियाँ उर्फ मो0 राजू, इंशुल लियाँ उर्फ इंशुन उद्दीन के विरूद्ध अलग से धारा U/s 3(1)(w)(i) SC/ST Act के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया है, जिनका वे सामना कर रहे हैं।

2. यह वाद सूचक मुंद्रिका देवी के लिखित आवेदन पर आधारित है, जिसमें उसका वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 18.11.2019 को समय करीब 12 बजे दोपहर में मेरी ब`टी निशा कुमारी और उसकी मौसी बिल्टा कुमारी बेलदौर बाजार अपने नानी के गांव कुम्हरैली से आयी थी। बाजार करके लौटने के कम में स्थान हनुमान नगर पुल के आगे सड़क पर से ही अचानक अपाची मोरसाईकि से राजो मियाँ और इनके साथ एक और व्यक्ति थे, जिनको बिल्टा कुमारी नहीं पहचान सकी। दोनों व्यक्ति निशा कुमारी मोटरसाईकिल पर बैठाकर अपहरण कर ले गया। इस कांड में माता पिता का भी हाथ है।

3. सूचक के द्वारा दिये गये फर्दब्यान के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा अनुसंधानोपरान्त अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र समर्पित किया गया। तदनुरूप अपराध का संज्ञान लिया गया।

4. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

म न त व य

5. अभियोजन की ओर से अपने वाद के समर्थन में एकमात्र चिकित्सक साक्षी डॉ0 मंजू कुमारी का साक्ष्य अभियोजन साक्षी संख्या 01 के रूप में किया गया है। इस साक्षी के अनुसार पीड़िता के शरीर पर कोई भी जख्म नहीं पाया और पूरक जख्म रिपोर्ट में स्पर्मेटोजोआ भी नहीं पाया तथा चिकित्सक ने अपने मंतव्य में यह नहीं कहा है कि पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ है अथवा नहीं। मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता का उम्र का निर्धारण 15–16 वर्ष किया गया। किन्तु इस रिपोर्ट में चिकित्सक साक्षी ने कहा है कि पीड़िता हाईमन पूर्व से ही फटा हुआ था या नहीं। बहरहाल, पीड़िता का जख्म पत्र का विवेचना साक्षियों के बयान के पश्चात किया जाना उचित होगा। किन्तु अभियोजन द्वारा किसी भी अन्य साक्षी का बयान नहीं कराया गया है। अभियोजन द्वारा पीड़िता, सूचक एवं अनुसंधानक

का बयान नहीं कराया गया है, जिससे अभियोजन के वाद पर संदेह पैदा होता है। अन्य किसी साक्षी का साक्ष्य अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया है। अभियोजन को साक्षियों के उपस्थापन हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। ऐसा कोई भी साक्षी या साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर नहीं लाया गया है, जिससे अभियोजन का वाद सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे प्रमाणित हो सके।

आदेश

6. अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के परिशीलन के आधार पर न्यायालय यह पाती है कि अभियोजन अभियुक्त राजो मियाँ उर्फ राजू मियाँ उर्फ मो0 राजू, मोमिना खातुन उर्फ मनिन खातून, इंशुल लियाँ उर्फ इंशुन उद्दीन के विरूद्ध गठित धारा 366A/34, 342/34 IPC एवं अभियुक्त राजो मियाँ उर्फ राजू मियाँ उर्फ मो0 राजू, इंशुल लियाँ उर्फ इंशुन उद्दीन के विरूद्ध अलग से गठित धारा 3(1)(w)(i) SC/ST Act के आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में अभियोजन असफल रहा है। ऐसी परिस्थिति अभियुक्त दोषमुक्ति के योग्य हैं। फलतः अभियुक्त राजो मियाँ उर्फ राजू मियाँ उर्फ मो0 राजू, मोमिना खातुन उर्फ मनिन खातून, इंशुल लियाँ उर्फ इंशुन उद्दीन को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है एवं उन्हें एवं उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे द्वारा लेखापित एवं शुद्धिकृत

संजय कुमार 4.6.26

(संजय कुमार–I.)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम–सह– विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।
04.06.2026

संजय कुमार 4.6.26

(संजय कुमार–II.)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम–सह– विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।
04.06.2026